हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 फरवरी, 2017

खण्ड–1, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 27 फरवरी, 2017

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल महोदय का अभिभाषण	3
शोक प्रस्ताव	36
घोषणाएंः–	52
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	
(ख) सचिव द्वारा राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	52
कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना	52
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र	58
विशेषाधिकार मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	60

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 27 फरवरी, 2017

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.50 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

———————

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 18 के मुताबिक मुझे यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176–(1) के अधीन राज्यपाल महोदय ने आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मध्याह्न पश्चात 02.00 बजे हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करने की कृपा की है। उनके अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई ।)

माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासदो !

मैं 13वीं हरियाणा विधानसभा के 8वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सम्मानित सदन की इस वर्ष की पहली बैठक ऐसे समय हो रही है, जब हरियाणा प्रदेश में स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले आयोजन पूरे जोर–शोर से चल रहे हैं, जिनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहली नवम्बर, 2016 को गुरुग्राम से किया था। यह बड़े संतोष की बात है कि ये आयोजन सर्व हरियाणा, गर्व हरियाणा और पर्व हरियाणा की भावना से ओत–प्रोत हैं।

2. यह हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष दसवें सिक्ख गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी है। इस वर्ष बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 300वीं शहीदी वर्षगांठ भी है। उनका बलिदान, पराक्रम और साहस हमारे लिए प्रेरणा–स्रोत था, है और रहेगा। आशा है कि 'देह शिवा बर मोहि इहै, शुभ करमन ते कबहूं न टरों' का आदर्श सदैव हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों रूपों में मनसा वाचा कर्मणा परिलक्षित होता रहेगा।

3. मेरी सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रपति संदर्भ पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया है, जिससे सतलुज–यमुना योजक नहर (एसवाईएल) के शेष भाग पर चिरलम्बित निर्माण कार्य शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल ने 28 नवम्बर, 2016 को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को इस मामले में उनके हस्तक्षेप के लिए एक ज्ञापन दिया था ताकि रावी–ब्यास के

अधिशेष पानी का हमारा न्यायोचित और विधिसम्मत हिस्सा हमारे सूखे खेतों और प्यासे गांवों में पहुंचना सुनिश्चित हो। मेरी सरकार पूरी ईमानदारी से इस मामले की पैरवी करती रहेगी और अपने राज्य के परिश्रमी और कानून का सम्मान करने वाले लोगों, जिनकी हमारे संविधान और न्यायपालिका में पूरी आस्था है, के हितों की सुरक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी।

4. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर मेरी सरकार ने वर्ष–2017 को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने विकास प्राथमिकता के नौ क्षेत्र भी निर्धारित किए हैं। ये क्षेत्र हैं– महिला, युवा, कृषि, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, ग्रामीण और शहरी विकास। नीति एवं क्रियान्वयन के इस नवाग्रह से प्रदेश में विकास के एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। मेरी सरकार इसके लिए आवश्यक वित्तीय तथा मानव संसाधन जुटा रही है, क्योंकि यह गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

5. मेरी सरकार अपने सभी प्रकल्पों में 'सबका साथ–सबका विकास' तथा 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' के अपने मूलमंत्र के प्रति सदैव सचेत रही है। इससे न केवल हमारी आर्थिक वृद्धि तेज हुई है, बल्कि सतत् और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हुआ है। हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2015–16 में 9 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि अखिल भारतीय दर 7.9 प्रतिशत रही। राज्य का वित्त सुव्यवस्थित है। वित्तीय घाटा, जो वर्ष 2015–16 में जीएसडीपी का 2.58 प्रतिशत था, वह वर्ष 2016–17 में 2.47 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जोकि 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से नीचे है। वर्ष 2016–17 में ऋण व जीएसडीपी का 19.55 प्रतिशत का अनुपात भी 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर रहा।

6. मेरी सरकार ने जागरूकता, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण तथा विभिन्न कार्यालयों व महाविद्यालयों में प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों की स्थापना के माध्यम से नकदी रहित लेन–देन को प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गम्भीरता से लिया है। भारत सरकार की दो योजनाओं नामतः उपभोक्ताओं के लिए लक्की ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापार योजना के तहत भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 26 दिसम्बर, 2016 को गुरुग्राम में पहला राष्ट्रीय डिजी धन मेला आयोजित किया गया। डिजीटल और नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने और नागरिक केन्द्रित

सेवाएं लोगों के घरद्वार पर पहुंचाने के लिए इसी फरवरी माह के दौरान सभी उप–मण्डलों पर बसंत मेले आयोजित किये गये।

7. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, दिसम्बर, 2016 तक 56.75 लाख बैंक खाते खोले गये और इन खातों में कुल 2,473 करोड़ रुपये जमा हुए। इनमें से 48.39 लाख खातों के लिए रुपे कार्ड जारी किये गये तथा 43.91 लाख खातों को आधार से जोड़ा गया।

8. मेरी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं। इतना ही नहीं, वेतन का बकाया भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने कर्मचारियों के लिए यह कल्याणकारी कदम उठाया है। राज्य के पेंशनधारकों की पेंशन, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित करने की प्रक्रिया भी इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

9. हम सबके लिए यह बड़े ही गर्व की बात है कि हमारी दो उत्कृष्ट बेटियों, सुश्री साक्षी मलिक ने रियो ओलम्पिक 2016 में कुश्ती में कांस्य पदक और सुश्री दीपा मलिक ने रियो पैरा–ओलम्पिक 2016 में शॉटपुट में रजत पदक हासिल किया। इनका शानदार प्रदर्शन सभी भारतवासियों के लिए खुशी और प्रेरणा का स्रोत है। मेरी सरकार ने इन्हें क्रमशः 2.5 करोड़ रुपये और 4 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार देकर इनकी उपलब्धियों का सम्मान किया है।

10. हमारे राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता तथा सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों के कल्याण के प्रति सही मायनों में प्रतिबद्ध, मेरी सरकार ने 27 दिसम्बर, 2016 को सैनिक एवं अर्द्ध–सैनिक कल्याण विभाग के नाम से एक नया विभाग बनाया है। यह न केवल भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान देगा, बल्कि अर्द्ध–सैनिक बलों के महिला एवं पुरुष कर्मियों के कल्याण को भी हरियाणा के कल्याण प्रतिमान में शामिल करेगा।

11. मेरी सरकार द्वारा एक सर्व समावेशी स्टेट रेजीडेंट डाटा बेस तैयार करने के लिए राज्य के सभी निवासियों का जन सेवा सर्वेक्षण करवाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में संचालित स्टेट रेजीडेंट डाटा बेस परियोजना में आधार कोष से लिये गये लगभग 1.58 करोड़ नागरिकों का रिकॉर्ड है। रेजीडेंट डाटा का सृजन और इसका लाभ प्रबंधन के लिए प्रयोग भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। स्टेट रेजीडेंट डाटा

हब स्थापित किया गया है और इसका प्रयोग चुनाव, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जैसे विभिन्न विभागों हेतु सीडिंग के लिए किया जा रहा है।

12. मेरी सरकार ने विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी नागरिकों के लिए इनकी सहज पहुंच सुनिश्चित करने तथा इनकी प्रदायगी परेशानी रहित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण गठित किया है। यह प्राधिकरण प्रक्रियाओं, पद्धतियों, नियमों, विनियमनों, विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के स्वरूप, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में बदलाव सुझाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों तक इनकी सम्मानपूर्वक पहुँच हो।

13. सरस्वती नदी और इसकी धरोहर के विकास के कार्य में लगा हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड राजस्व रिकॉर्ड और भारतीय सर्वेक्षण के पुराने नक्शों के अनुसार नदी की भूमि को सुरक्षित करने, वर्षभर जल का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों की पहचान करने, इसरो और हरसक द्वारा चिह्नित विलुप्त चैनलों की पहचान करने तथा ओएनजीसी के सहयोग से भूजल दोहन करने जैसे कार्यों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है।

14. टूरिज्म सर्किट के लिए भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत सरस्वती धरोहर स्थलों नामतः आदि बद्री, पेहोवा, कुरुक्षेत्र, कलायत, कुणाल, बिर्राना तथा राखीगढ़ी का विकास करने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

15. भारत सरकार की 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' स्कीम के तहत अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के लिए तेलंगाना राज्य के साथ एक समझौता किया गया है।

स्वर्ण जयंती समारोह

16. भारत के राजनैतिक मानचित्र पर एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा के गठन की स्वर्ण जयंती न केवल हमारी गौरवशाली उपलब्धियों को मनाने का अवसर है, बल्कि यह हमारे स्वर्णिम पुरातन इतिहास पर गर्व करने का भी मौका है। यह हमारे नागरिकों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में हमारे प्रयासों को समेकित करने का भी

समय है। सभी के सुझावों से, मेरी सरकार ने वेदों, गीता, उपनिषदों और हमारी विरासत की महिमा और सामाजिक–आर्थिक विकास की दिशा में उठाए गए अपने ठोस कदमों को दर्शाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। आपकी भागीदारी, साहस और समर्थन से, मेरी सरकार हरियाणा के स्वर्णिम भविष्य के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करने की इस प्रक्रिया में पूरी ऊर्जा लगाने का हरसम्भव प्रयास करेगी।

17. हमें इन प्रयासों में भारत सरकार और प्रवासी हरियाणवियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रदेश में 6 से 10 दिसम्बर, 2016 तक वार्षिक गीता जयंती को अन्तर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया। 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव रोहतक में राष्ट्रीय भागीदारी तथा स्थानीय समुदाय के सहयोग से अभूतपूर्व ढंग से आयोजित किया गया। प्रवासी हरियाणा दिवस में भाग लेने आए, विदेशों में रह रहे सैकड़ों हरियाणवी राष्ट्रीय युवा महोत्सव समेत विभिन्न कार्यक्रमों के भी साक्षी बने। आगामी महीनों में जो गतिविधियां शुरू की जाएंगी, उनमें हरियाणा साहित्य संगम, स्वर्ण जयंती प्रवेश द्वारों, स्वर्ण जयंती स्मारक का निर्माण, गांवों में गौरव पट्ट की स्थापना, विकास यात्राओं का आयोजन, सांस्कृतिक धरोहर उत्सव, क्लासिकल सर्किट, हरियाणा फिल्मोत्सव, प्रदर्शनियों, यूथ असेम्बली, औद्योगिक मेलों, आईटी शो, वनीकरण अभियान, खेल महाकुम्भ, योग प्रतिस्पर्धा, पशु आरोग्य अभियान, स्वांग तथा रागनी उत्सवों इत्यादि का आयोजन शामिल है।

18. स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हमने जन कल्याण की विभिन्न परियोजनाएं और स्कीमें एवं सतत विकास और तीव्र तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित सामाजिक–आर्थिक विकास के एक नए युग के सूत्रपात के लिये कई अभिनव गतिविधियां शुरू करने की योजनाएं भी बनाई हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

19. सभी पंचायतों का पढ़ी–लिखी पंचायतों के रूप में रूपांतरण सुनिश्चित करने के बाद मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करके और कार्य तथा निधियां हस्तांतरित करके इन संस्थाओं का सशक्तिकरण करने की दिशा में सक्रिय रूप से लगी हुई है। आगामी दिनों में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को और अधिक दायित्व एवं भूमिकाएं सौंपी जाएंगी।

20. वर्ष 2016 के दौरान नवनिर्वाचित सरपंचों को पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सरकार सरपंचों और ग्राम सचिवों के लिए स्वशासन में तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का भी एक अनूठा कदम उठाने जा रही है, जिसका उद्देश्य अध्ययन को संस्थागत बनाना और पंचायती राज संस्थाओं की उत्कृष्ट पद्धतियों को सांझा करना है।

21. मेरी सरकार द्वारा पंचायतों का सशक्तिकरण करने के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की 6,205 पंचायतों में से 4,834 पंचायतों ने 'हमारी योजना–हमारा विकास' नामक विकास योजनाएं बनाई हैं। इनमें अवसंरचना और लागत रहित विकास उपायों पर बल दिया गया है। प्रदेश में 1,131 ग्राम सचिवालय स्थापित किये गये हैं, जिनमें 679 अटल सेवा केन्द्र हैं। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए 'ग्रामीण विकास के लिए गर्वित–युवा स्कीम' के माध्यम से लोगों और सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

22. राज्य के 14 जिलों के सभी गांव इस महीने खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं। हरियाणा के सभी गांवों और सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में मेरी सरकार का यह एक बड़ा कदम है। हमें आशा है कि इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हरियाणा के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लेंगे। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छता के लिए स्वर्ण जयंती पुरस्कार' स्कीम के तहत हर महीने हर खण्ड की एक पंचायत व हर जिले को पुरस्कृत किया जा रहा है। राज्य में 1,302 समेकित तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 686 गांवों में कार्य प्रगति पर है।

23. विकास प्रक्रिया को त्वरित करने और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य में 14 नये खण्ड स्थापित किये गये हैं। ग्रामीण परिदृश्य को शहरों जैसी सुविधाओं से युक्त करने के दृष्टिकोण को कार्य रूप देने के लिए 'स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना' के तहत 40 करोड़ रुपये और 'श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन' के तहत 6 समूहों के लिए 32 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। 'हरियाणा ग्राम उदय योजना' नामक एक नई तथा महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से आगामी 3 वर्षों में 10,000 से कम की आबादी वाले गांवों में 5000 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध ढंग से अवसंरचना विकास कार्य किये जाएंगे। तंदुरुस्ती, खेलों और योग के लिए हरित स्थान

उपलब्ध करवाने के लिए प्रथम चरण में 1,000 पार्क–सह–व्यायामशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से 467 पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

24. समान विकास सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार 'खण्ड उत्थान योजना' नामक एक नई स्कीम के माध्यम से पिछड़े खण्डों के विकास पर बल दे रही है। इस स्कीम के तहत अति पिछड़े खण्डों की पहचान की जाएगी और अवसंरचना विकास के लिए विशेष निधियां आवंटित की जाएंगी।

शहरी विकास

25. मेरी सरकार शहरी अवसंरचना के सृजन और उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने दूसरे चरण में फरीदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का अनुमोदन किया है। करनाल स्मार्ट सिटी प्रस्तावों के चयन के अगले चरण में मुकाबला करेगा।

26. मेरी सरकार ने विज्ञापनों, जोकि नगर निगमों के लिए राजस्व का एक बड़ा संसाधन हैं, के विनियमन के लिए हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम, 2016 अधिसूचित किये हैं। स्ट्रीट वेंडिंग को नियमित करके स्ट्रीट वेंडर की आजीविका सुरक्षित करने और पालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए, मेरी सरकार स्ट्रीट वेंड्र्स (स्ट्रीट वेंडर आजीविका संरक्षण और विनियमन) नियमों को अधिसूचित करेगी।

27. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में 125 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये गये हैं। वर्ष 2016 में सिरसा और कुरुक्षेत्र जिलों के सभी 9 कस्बों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है और राज्य के शेष कस्बों को भी 2017 में खुले में शौच से मुक्त करने का कार्य चल रहा है।

28. गुरुग्राम का बड़ी तेजी से शहरीकरण होने से शहरी शासन में कई नई चुनौतियां सामने आई हैं। मेरी सरकार ने शहरी शासन में नये आयाम स्थापित करने के लिए गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। विस्तृत जन परामर्श प्रक्रिया के बाद इस सम्बन्ध में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य समेकित और समन्वित नियोजन, अवसंरचना विकास, शहरी सुविधाओं का प्रावधान, आवागमन प्रबंधन, शहरी पर्यावरण का सतत् प्रबंधन और आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक विकास करना है। मुझे आशा है कि इस सत्र में

विधायी कार्यों के एक भाग के रूप में इस पर बहस होगी और इसे पारित कर दिया जाएगा।

29. समेकित ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सांझा प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं से युक्त 15 कलस्टर स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिनका मार्च, 2019 तक सभी पालिकाओं तक विस्तार किया जाएगा। गुरुग्राम में निर्माण और विखण्डन कचरे के प्रसंस्करण की अत्यावश्यक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

30. अटल मिशन ऑफ रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफोरमेशन के तहत 18 शहरी स्थानीय निकायों में हर घर में सुनिश्चित नल पेयजल और सीवरेज कनैक्शन, हरियाली का विकास और शहरों में प्रदूषण को कम करने का कार्य किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए 101.76 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। 'दीनदयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान स्कीम' के तहत अनुसूचित जातियों की बस्तियों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

31. राज्य सरकार गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ तक मैट्रो लाइनों के विस्तार के लिए 3,500 करोड़ रुपये से भी अधिक का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

32. मेरी सरकार ने 1 अगस्त, 2016 से हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा–7ए के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसी एनओसी प्रदान करने में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिसूचित भूमि का डाटा सरकार की वैबसाइट और हरियाणा भूमि रिकॉर्ड सूचना प्रणाली पर डाल दिया गया है। इस नियामक व्यवस्था को और अधिक उदार बनाने के लिए मेरी सरकार का विधायी संशोधन लाने का इरादा है। औद्योगिक भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति को भवन योजना स्वीकृत करने, कब्जा और पूर्णता प्रमाण पत्र, नियंत्रित क्षेत्र से बाहर स्थापित इकाइयों को एनओसी देने और ईंट–भट्ठों, तारकोल–भट्ठों और स्टोन क्रेशर के लिए लाइसेंस जारी करने के अधिकार देकर उनका सशक्तिकरण किया गया है।

राजस्व

33. मेरी सरकार ने हाल ही में फरीदाबाद और करनाल को दो नये राजस्व मण्डलों का दर्जा दिया है और चरखी दादरी को नया जिला बनाया है। इसके अतिरिक्त, 11 उप–तहसीलों, 10 तहसीलों, 10 उप–मण्डलों का सृजन व उन्नयन किया गया है। वर्तमान में राज्य में 6 मण्डल, 22 जिले, 71 उप–मण्डल, 93 तहसीलें और 49 उप–तहसीलें हैं।

34. ई–गवर्नैंस के अंतर्गत मेरी सरकार विभिन्न प्रकार के प्रमाण–पत्रों, भू–रिकॉर्ड की प्रतियों, ई–स्टाम्पस और अनुमतियों से सम्बन्धित 34 ई–सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर रही है। कोर्ट फीस की ई–स्टाम्पिंग के क्रियान्वयन के लिए कोर्ट फीस एक्ट–1870 में संशोधन किया गया है। मेरी सरकार निर्णायक भूमि मालिकाना पद्धति के क्रियान्वयन के उद्देश्य से आधार प्रमाणित आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रही है। भू–रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने के लिये भारत सरकार द्वारा प्रथम पायलट परियोजना के लिए जींद जिले का चयन किया गया है। एनआईसी हरियाणा द्वारा टैबलेट का प्रयोग करके खसरा गिरदावरी के लिए एक मोबाइल एप विकसित किया गया है। अब नागरिक गांवों में ही अटल सेवा केन्द्रों में पंजीकरण प्राधिकारियों से सीधे ई–अपॉइंटमैंट ले सकते हैं।

35. मेरी सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसलों के लिये किसानों को मुआवजा देती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये इन समूहों द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के पक्ष में दिये जाने वाले कब्जा या रहन दस्तावेजों के बिना, परस्पर अनुबन्धों तथा गिरवी दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त की गई है।

सिंचाई एवं जल संसाधन

36. किसानों को सिंचाई की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जवाहर लाल नेहरू कैनाल और इसकी उठान प्रणाली के सुधार की 143 करोड़ रुपये लागत की एक बड़ी योजना प्रगति पर है और यह कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत तक पूरा होने की सम्भावना है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य सुधार कार्य किए जाएंगे।

37. मेरी सरकार की वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्य योजना और नाबार्ड के तहत 125 चैनलों और 400 जलमार्गों का सुधार करने की योजना है। मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए कैरियर सिस्टम

की क्षमता बढ़ाने की 2000 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना तैयार की जा रही है, जिससे पश्चिमी यमुना कैनाल सिस्टम और जवाहर लाल नेहरू कैनाल सिस्टम में लगभग 4000 से 5000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा।

38. कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत से 13 जिलों के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रदर्शन की एक पायलट परियोजना शुरू की गई है और इसके दिसम्बर, 2017 के अंत तक पूरा होने की सम्भावना है।

ऊर्जा

39. मेरी सरकार ने बिजली की लागत को कम करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। पुराने और कम कुशल पानीपत थर्मल पावर स्टेशन को बंद कर दिया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में दीर्घावधि बिजली सुरक्षा के लिए झारखंड में 102 मिलियन टन की कल्याणपुर–बादलपाड़ा कोयला खान, जो विशेष रूप से राज्य को आबंटित है, विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। स्वच्छ सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम द्वारा पहली नवम्बर, 2016 को पानीपत ताप बिजली घर में 10 मैगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई है। अन्य सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की प्रारम्भिक गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं। प्रदेश में बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में 77 नये सब–स्टेशनों की स्थापना करने, 347 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने और 1730 किलोमीटर लम्बी अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है।

40. माननीय सभासदो! वर्ष 2017–18 के अंत तक प्रदेश में 65 नये सब–स्टेशन स्थापित करने और 140 मौजूदा 33 के.वी. सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, 495 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की 33 के.वी. लाइनें भी बिछाई जाएंगी। मेरी सरकार ने बिजली वितरण निगमों (डिस्कॉम) की कार्य दक्षता में सुधार करने के साथ–साथ आगामी तीन वर्षों के अंदर इनका कायाकल्प करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता (एमओयू) किया है। इस स्कीम के तहत डिस्कॉम का 75 प्रतिशत ऋण, जोकि 25,950 करोड़ रुपये है, राज्य सरकार द्वारा बॉण्ड जारी करके अपने जिम्मे लिया गया है, जोकि अगले पांच वर्षों के लिए इक्विटी और अनुदान के संयुक्त रूप में परिवर्तित होगा। वर्ष 2018–19 तक सकल तकनीकी

एवं वाणिज्यिक हानियों के 15 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, हानि कम करने की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

41. मेरी सरकार सभी के लिए चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए कृत–संकल्प है। प्रदेश के 31 ग्रामीण फीडरों पर पहले ही 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति हो रही है। इनमें से 10 फीडर 'म्हारा गांव–जगमग गांव' स्कीम के तहत आते हैं। पंचकूला प्रदेश का ऐसा प्रथम जिला बन गया है जहां 24 घण्टे बिजली मिलती है।

42. मेरी सरकार ने प्रदेश में उपलब्ध अपार सौर क्षमता का दोहन करने के लिए मार्च, 2016 में एक सौर ऊर्जा नीति घोषित की थी। प्रदेश के लिए वर्ष 2022 तक 4030 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

43. मेरी सरकार का धान की पुआल पर आधारित बिजली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में छः जिलों नामतः करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, जींद, कैथल और अम्बाला में लगभग 50 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं। आम लोगों की मूलभूत घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए एक लाख सोलर होम सिस्टम उपलब्ध करवाने के लिए 'मनोहर ज्योति' नामक एक स्कीम शुरू की जा रही है। किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने और बहुमूल्य जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के लिए एक स्वर्ण जयंती स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर 2 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के 855 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास

44. 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम लिंग चयन आधारित गर्भपात को रोकने तथा बालिकाओं का अस्तित्व, शिक्षा व सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और हरियाणा में लिंगानुपात 2015 के 876 से बढ़कर 2016 में 900 हो गया है।

45. इस मोर्चे पर हमारी सफलता को स्वीकार करते हुए, प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में 'नारी शक्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए जिला यमुनानगर को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

46. करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जो निजी और सार्वजनिक, दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे समेकित सहायता उपलब्ध करवाएंगे और चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श समेत सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला तक तत्काल, आपातकालीन और गैर–आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

47. महिलाओं और बच्चों के विकास के प्रकल्पों को और सुदृढ़ बनाने के लिए मेरी सरकार का पांच नई योजनाएं नामतः स्वर्ण जयंती बाल–आहार– उत्पादन केन्द्र, अम्बाला जिला में पायलट परियोजना के तौर पर स्वर्ण जयंती स्वस्थ बचपन, स्वर्ण जयंती नारी संरक्षण गृह, स्वर्ण जयंती बाल सुधार गृह तथा स्वर्ण जयंती महिला पुरस्कार योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

48. पहली नवम्बर, 1966 को खाद्यान्नों के मामले में कमी वाले राज्य से केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने की हरियाणा की कहानी वास्तव में अद्भुत है। देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.4 प्रतिशत क्षेत्र होने के बावजूद हमारे मेहनतकश किसानों ने हरियाणा को केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में 14 प्रतिशत योगदान देने में सक्षम बनाने का एक अतुल्य कार्य किया है। यह भी प्रशंसनीय है कि वर्ष 2015–16 में खाद्यान्नों का 163.33 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हासिल किया गया। मेरी सरकार ने कृषि क्षेत्र में हानि को कम करने के लिए तथा खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों धान, बाजरा, मक्का और कपास तथा रबी मौसम की गेहूं, जौ, चना और सरसों के खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। खरीफ 2016 के लिये स्थानीय दावों के लिये किसानों को 9.86 करोड़ रुपये वितरित किये गए।

49. मेरी सरकार जैविक गांवों को अंगीकार करके 50–50 एकड़ के कलस्टर बनाकर तथा 'परम्परागत कृषि विकास योजना' के तहत प्रमाणीकरण की व्यवस्था

करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। फसल अवशेष जलाने की रोकथाम तथा इसके प्रबंधन के लिए वर्ष 2017–18 के लिए, मेरी सरकार ने भूसा प्रबंधन उपकरणों, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए 303.15 करोड़ रुपये की एक कार्य योजना का प्रस्ताव किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी पानीपत में एक इथेनॉल आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

50. मेरी सरकार ने प्रदेश में बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र को दोगुना करने तथा 2030 तक बागवानी उत्पादन को तीन गुणा करने के उद्देश्य से राज्य का 'बागवानी विजन' तैयार किया है। मौजूदा 7.5 प्रतिशत से कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 15 प्रतिशत क्षेत्र को बागवानी के तहत लाने की योजना है।

51. मेरी सरकार ने करनाल में पहला बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जिसके तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र होंगे तथा वैश्विक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। बागवानी फसलों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

52. हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड (हैफेड) ने इस वर्ष प्रदेश के इतिहास में पहली बार मूंग की खरीद की। गन्ने की अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों के लिए दिया जा रहा क्रमशः 320 रुपये, 315 रुपये और 310 रुपये प्रति क्विंटल का राज्य परामर्शी मूल्य देशभर में सर्वाधिक है। चीनी मिल प्रसंघ द्वारा गांव डाहर में सह–उत्पादन तथा इथेनॉल संयंत्र सहित पानीपत चीनी मिल का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने, शाहाबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी इथेनॉल संयंत्र की स्थापना करने तथा करनाल चीनी मिल का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की योजना है।

53. वर्ष 2015–16 में दुग्ध उत्पादन 83.81 लाख टन तक पहुंच गया और इसके साथ ही प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बढ़कर 835 ग्राम हो गई है, जोकि देशभर में दूसरी सबसे अधिक है। इस वर्ष के दौरान 'जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा' की शुरुआत की गई, जिसके अन्तर्गत बड़े पशुओं जैसेकि भैंसों, घोड़ों, गधों और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं जैसेकि भेड़, बकरी और सूअर आदि का तीन वर्ष की अवधि के लिए बीमा किया जाएगा। अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों के पशुधन का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। हरीयाना, साहीवाल, थारपारकर तथा गीर जैसे

गुणवत्तापरक स्वदेशी मवेशियों के लिए राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में एक गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा।

54. 27 नवम्बर, 2016 को हिसार में लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। मेरी सरकार द्वारा गौवंश के कल्याण और रखरखाव के लिए गठित गौसेवा आयोग ने पानीपत और हिसार में गौ–अभ्यारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें आवारा मवेशियों के लिए उचित आश्रय, चारा और पशुचिकित्सा देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

55. माननीय सभासदो, प्रति हैक्टेयर मछली उत्पादकता में हरियाणा का देशभर में दूसरा स्थान है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इसे 'मछली रोग मुक्त राज्य' घोषित किया गया है। प्रदेश में सघन मछली पालन के तहत लगभग 16,000 हैक्टेयर के जलाशय हैं और यह प्रतिवर्ष लगभग 1.50 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करता है। मेरी सरकार द्वारा प्रति हैक्टेयर के वर्तमान स्तर को 7,200 किलोग्राम से बढ़ाकर 8,200 किलोग्राम करने के लिए बेहतर संसाधन प्रबंधन और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

56. मेरी सरकार ने रेल–पटरियों और राजमार्गों के साथ लगती पट्टीनुमा भूमि पर पौधारोपण करने के लिये रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौते किए हैं। शिवालिक क्षेत्र में मोरनी की पर्वतमालाओं में जैव–विविधता के विस्तार तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से सरकार ने पतंजलि अनुसंधान संस्थान, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तराखंड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत सरकार इन गतिविधियों के लिये निधि उपलब्ध करवाएगी तथा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन करेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

57. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पहली नवम्बर, 2016 को न केवल हरियाणा को कैरोसीन–मुक्त बनाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया, बल्कि उन्होंने आठ जिलों नामतः गुरुग्राम, झज्जर, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला को कैरोसीन–मुक्त भी घोषित किया। सरकार 31 मार्च, 2017 तक हरियाणा के शेष जिलों को भी कैरोसीन–मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री द्वारा उचित मूल्य की सभी दुकानों के स्वचालन का भी शुभारम्भ किया

गया, जिससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों की आधार–आधारित पहचान और वस्तुओं का डिजिटल लेन–देन सुनिश्चित होगा। इन उपायों से बड़े पैमाने पर प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही आएगी तथा लाभार्थियों की सूची में से जाली तथा दोहरी प्रविष्टियों को निकालने से सार्वजनिक खजाने की भी काफी बचत होगी।

स्कूल शिक्षा

58. माननीय सभासदो, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना मेरी सरकार की सतत प्राथमिकता रही है। प्रदेशभर में सभी स्कूलों के लिए मासिक मूल्यांकन परीक्षाओं, छमाही परीक्षाओं, पाक्षिक शैक्षणिक निगरानी और अध्ययन अभिवृद्धि कार्यक्रम सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। प्रदेश में 33 राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किया गया है। स्वीकृत कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के साथ 2 नए स्कूल भी खोले गए हैं। 20 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य विषय भी शुरू किए गए हैं। राष्ट्र स्तरीय स्कूल खेल टूर्नामेंटों के दौरान हमारे विद्यार्थियों ने 98 स्वर्ण पदक, 97 रजत पदक और 117 कांस्य पदक जीत कर देश में कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल किया है।

59. मेरी सरकार द्वारा 'डिजिटल सशक्तिकरण' की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के भाग के रूप में, स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है। वर्ष 2016 से शुरू की गई ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति से अध्यापकों के मांग–आधारित वितरण के एक नये युग तथा एक नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई है, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा होगी तथा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अध्यापकों में कार्य–संतुष्टि बढ़ेगी।

60. प्रत्येक स्कूल के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों का एक पैनल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक नई योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत इन अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की अस्थायी रिक्तियों के समक्ष लगाया जाएगा। छात्रवृत्तियां और अन्य लाभ विद्यार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा करवाए जा रहे हैं।

61. मिड डे मील कार्यक्रम स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में सफल रहा है। विद्यार्थियों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मेरी सरकार की आगामी शैक्षणिक सत्र में उन्हें सुगंधित दूध उपलब्ध करवाने की योजना है। मेरी सरकार द्वारा व्यावसायिक कार्यक्रम अर्थात नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क चलाया जा रहा

है, जिसके तहत विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक चुनिंदा ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2016 के दौरान निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से कुल 16,84,673 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 142 स्कूलों ने अर्हता प्राप्त की है।

उच्च शिक्षा

62. माननीय सभासदो, पहुंच, गुणवत्ता, समानता और स्थिरता ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिन पर मेरी सरकार का उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण आधारित है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध करवाना एक प्रमुख सरोकार है। मेरी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 26 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया है। पहली बार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 फरवरी, 2017 को 18 राजकीय महाविद्यालयों के नये भवनों तथा तीन मौजूदा राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त भवनों की केन्द्रीयकृत तथा एक साथ आधारशिला रखी गई। इन महाविद्यालयों के प्रत्येक भवन की निर्माण लागत 350.42 करोड़ रुपये होगी। इन महाविद्यालयों के खुलने से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर लड़कियों तथा सीमांत वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ होगा।

63. गांव कांकरौला, गुरुग्राम में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा मूंदड़ी, कैथल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में ऊष्मायन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की गई है। वर्ष 2016–17 में स्टेरेक्स यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम की स्थापना की गई।

64. प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को अपनाकर एक प्रमुख कदम उठाया गया। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 2,98,193 आवेदकों ने अपने आवेदन फार्म निःशुल्क ऑनलाइन भरे तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से 1,91,462 विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया गया। राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण स्टाफ की कमी शीघ्र ही बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि भर्ती–प्रक्रिया पूरी होने वाली है। सभी 110 राजकीय महाविद्यालयों के परिसरों में निःशुल्क वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 'एनसीसी कैडेट प्रोत्साहन योजना' शुरू की गई है। घरौंडा, करनाल में एनसीसी अकादमी स्थापित की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा

65. बड़ी खुशी की बात है कि रोहतक में भारतीय प्रबंधन संस्थान, सोनीपत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के उमरी में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

66. राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुंडली, जिला सोनीपत में आईआईटी, दिल्ली का एक विस्तार परिसर स्थापित किया जा रहा है। एक ऑन–कैम्पस कौशल विकास केन्द्र और एक जैव–विज्ञान अनुसंधान पार्क के साथ आईआईटी, दिल्ली का विस्तार परिसर (शोध एवं विकास) जिला झज्जर के गांव बाढ़सा में 50 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, करनाल में केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का प्लास्टिक सैटेलाइट सेंटर, जिला झज्जर के गांव सिलानी कैशो में श्री रणबीर सिंह राज्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तथा जिला रेवाड़ी में राव बीरेंद्र सिंह राज्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, नीलोखेड़ी के परिसर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है।

67. नीमका, फरीदाबाद और शेरगढ़, कैथल में दो राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि नूह के इण्डरी तथा मालब, भिवानी के छपार और पलवल के मंडकोला में चार नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। सैक्टर–26, पंचकूला और गांव धामलावास, जिला रेवाड़ी में दो नए राजकीय बहुतकनीकी–सह–बहुकौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान जमालपुर शेखां, फतेहाबाद के नवनिर्मित भवन को अब डिग्री कॉलेज चलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय अधिसूचित किया गया है और विश्वविद्यालय के संचालन के लिए कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है।

रोजगार

68. मेरी सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती उत्सव के अवसर पर पहली नवम्बर, 2016 को राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 'सक्षम युवा स्कीम' शुरू की गई है। इस स्कीम के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं अर्थात बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और कार्य मानदेय। इस स्कीम के तहत 35 वर्ष की आयु से कम स्नातकोत्तर पंजीकृत बेरोजगारों

को 3000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता और उन्हें हर महीने 100 घण्टे तक काम के बदले 6000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। जिन पात्र आवेदकों को मानदेय कार्य नहीं दिया जाता, उन्हें सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में अपनी पंसद के अनुसार कौशल विकास में प्रशिक्षण लेने के लिए मनोनीत किया जाएगा। इस स्कीम में पात्र आवेदकों ने बड़ी रुचि ली है और 18 हजार से भी अधिक आवेदकों ने वैब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। इस स्कीम के तहत हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों अर्थात कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेरी, विकास एवं पंचायतें, उद्योग एवं वाणिज्य, चुनाव, बागवानी, स्कूल शिक्षा, सम्बन्धित जिलों के एलडीएम कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय आदि ने मानदेय कार्य के लिए सक्षम युवा के लिए मांग की है और इसमें 3,100 से अधिक युवाओं को लगाया गया है। विमुद्रीकरण के बाद दिसम्बर 2016 में और इस वर्ष जनवरी में विभिन्न जिलों के सम्बन्धित एलएमडी कार्यालयों में 'लैस कैश' जागरूकता और चेतना अभियान में लगभग 1000 सक्षम युवाओं ने कार्य किया। मेरी सरकार का आगामी वित्त वर्ष में इस स्कीम में राज्य के पात्र बेरोजगार स्नातकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य

69. मेरी सरकार सभी नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े पैमाने पर उन्नयन किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन तथा उन्हें अतिरिक्त उपकरणों, भवनों और अन्य संसाधनों से मजबूत बनाना शामिल है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाइयां तथा निःशुल्क सर्जरी उपलब्ध करवाने के तंत्र को सुव्यवस्थित किया गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, संस्थागत प्रसूतियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा प्रदेश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। मेरी सरकार प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

70. सभी जिला अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से आपातकालीन सुविधाओं और विशिष्ट सेवाओं में सुधार तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल–सह–नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। प्रदेश में सभी रोगियों को हेपेटाइटिस 'सी' का उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। पहली बार, जन्मजात

हृदय विकृति वाले छोटे बच्चों की सर्जरी पैनल में शामिल किए गए तीन निजी अस्पतालों द्वारा निःशुल्क की जा रही है। बाल्यावस्था में होने वाले निमोनिया की रोकथाम के लिए, एक वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को शीघ्र ही न्यूमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन दी जाएगी। इससे प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी।

71. चिकित्सकों की रिक्तियों को भरने के लिए 662 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है तथा राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। उपचार सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन के लिए चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है। खाद्य एवं औषध प्रशासन से सम्बन्धित अवसंरचना के मजबूतीकरण के लिए, भारत सरकार की सहायता से पंचकूला में 28 करोड़ रुपये की लागत से एक राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

72. मेरी सरकार चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली, आयुर्वेद की अवसंरचना को मजबूत बनाकर इसे लोकप्रिय बनाने पर विशेष बल दे रही है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जिला पंचकूला में 'अखिल भारतीय आयुर्वेद एवं योग संस्थान' स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक अन्य प्रतिष्ठित अखिल भारतीय संस्थान 'स्नातकोत्तर योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान' 65. 98 करोड़ रुपये की लागत से जिला झज्जर के गांव देवरखाना में स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति के एक 120 बिस्तर के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

चिकित्सा शिक्षा

73. पहले से चल रहे तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त, मेरी सरकार ने करनाल में कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है, जो 100 एमबीबीएस सीटों के साथ शैक्षणिक सत्र 2017–18 से चालू हो जाएगा। इससे प्रदेश में तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी। 'नागरिक अस्पतालों का चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में उन्नयन' की केन्द्रीय योजना के तहत भिवानी के मौजूदा 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का उन्नयन चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में

किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जींद में भी एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

74. स्वास्थ्य विज्ञान का दूसरा विश्वविद्यालय करनाल जिले में स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में सभी स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों इत्यादि के लिए कौशल विकास केन्द्र होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,000 करोड़ रुपये है और यह 5–7 वर्ष में पूरी हो जाएगी। सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े जिला नूंह के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए, मेरी सरकार शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ में डेंटल, नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित कर रही है।

75. गांव बाढ़सा, जिला झज्जर में 710 बिस्तर वाले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के निर्माण का कार्य पूरे जोरों पर है और यह परियोजना जुलाई, 2018 में चालू हो जाएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तीन और विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल संस्थान नामतः कार्डियो वैस्कुलर, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान और बाल रोग अस्पताल इसी परिसर में स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों से प्रदेश के लोगों को ऑन्कोलॉजी, हृदय तथा बाल चिकित्सा इत्यादि में विशिष्ट देखभाल सुविधाएं मिलेंगी।

76. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक में विभिन्न नई पहल की गई हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2017–18 से न्यूरो सर्जरी में एम.सीएस. पाठ्यक्रम और नेफ्रोलॉजी तथा न्यूरोलॉजी में डीएम पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

77. विद्यार्थियों के उत्पीड़न व शोषण को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिए प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑन–लाइन संयुक्त काउंसलिंग की गई है। इसी प्रकार, शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए ऑनलाइन संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी।

78. मेरी सरकार प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को सुचारू बनाने के लिए एक नर्सिंग नीति ला रही है। एएनएम, जीएनएम तथा एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष) पाठ्यक्रमों के संबंध में उचित नियमन और परीक्षा संचालन के लिए प्रदेश में नर्स एवं नर्स मिडवाइफ परिषद् स्थापित की जा रही है। प्रदेश में पैरामेडिकल एजुकेशन को विनियमित करने के लिए पैरामेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा।

उद्योग एवं श्रम

79. माननीय सभासदो, ''अग्रणी उद्यम प्रोत्साहन नीति–2015'' में विकास दर को 8 प्रतिशत से अधिक करने, एक लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश जुटाने और 4 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है। यह नीति भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किलिंग इंडिया' अभियानों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य हरियाणा को एक पंसदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

80. मेरी सरकार कारोबार की शुरुआत, विकास तथा विनियमन के लिए एक विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जोकि न्यूनतम सरकार–अधिकतम शासन के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। इस प्रयोजन के लिए 'मेक इन हरियाणा' कार्यक्रम के तहत उद्योगों के विकास तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी पहल 'एक छत अवसंरचना' समेत कई कदम उठाए गए हैं। इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन सांझा आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं कराधान, पर्यावरण, नगर एवं ग्राम आयोजना जैसे विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत करता है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम तथा नियम राज्य में ईज़ ऑफ डुइंग बिजनैस बढ़ाने के लिए एक ठोस वैधानिक आधार उपलब्ध करवाते हैं।

81. यह गर्व का विषय है कि हरियाणा एक साल के अन्दर ही वर्ष 2016 में भारत के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में ईज़ ऑफ डुइंग बिजनैस के मामले में 14वें स्थान से छठे और उत्तरी भारत में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। कुल 26,679 करोड़ रुपये के निवेश और 96,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के कुल 249 सीएएफ दाखिल किये गए हैं। गत वर्ष मार्च में हुए हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इंवेस्ट्र्स समिट के बाद 6.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 7.40 लाख रुपये के संभावित रोजगार के 406 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। अब तक 167 मामलों में भूमि की खरीद की गई है और 80,000 करोड़ रुपये के निवेश और 2,50,592 व्यक्तियों को संभावित रोजगार देने की परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

82. मेरी सरकार ने प्रदेश में व्यापार परिवेश को और मजबूत बनाने हेतु ठोस परिचर्चा के लिए हरियाणा मूल के प्रवासियों, नीति–निर्माताओं और स्थानीय कारोबारी समुदाय को एक साथ लाने के उद्देश्य से 10 व 11 जनवरी, 2017 को गुरुग्राम में

'प्रवासी हरियाणा दिवस' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 33 देशों से 400 अप्रवासी भारतीय शामिल हुए और इस दौरान 20,430 करोड़ रुपये के संभावित निवेश तथा 45,127 व्यक्तियों को संभावित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 24 समझौते किए गए।

83. मेरी सरकार की नीतियों और पहलों के फलस्वरूप बने अनुकूल परिवेश के कारण वर्ष 2015–16 के दौरान हमारे प्रदेश का निर्यात लगभग 81,220 करोड़ रुपये हो गया है।

84. एमएसएमई सैक्टर में विनिर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, 150 करोड़ रुपये के निवेश से आईएमटी रोहतक और औद्योगिक विकास केंद्र साहा में टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों की दो परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। एक प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 10,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की सम्भावना है। सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना ने राजकीय हीट ट्रीटमेंट सेंटर, फरीदाबाद में अपना विस्तार केंद्र शुरू कर दिया है। यह प्रति वर्ष लगभग 400 विद्यार्थियों को उन्नत सीएडी और सीएएम में प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने नीमका, फरीदाबाद में प्रौद्योगिकी–सह–इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित करने के लिए मेरी सरकार के साथ समझौता किया है।

85. मेरी सरकार कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक शांति एवं सौहार्द कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कामगारों के हितों से समझौता किए बगैर पारदर्शी तथा उद्योग–हितैषी श्रम नीतियां बनाई गई हैं। महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की शर्त पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी–आधारित उद्योगों में रात्रि पालियों में कार्य करने की छूट दी गई है। फैक्ट्रियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए थर्ड पार्टी प्रमाणन, लेखा परीक्षा स्कीम तथा स्व–प्रमाणन योजना अधिसूचित की गई है। विभिन्न श्रम कानूनों के तहत रोजगार की स्थिति से सम्बन्धित प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी निरीक्षण नीति तैयार की गई है। लाखों कामगारों को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड तथा हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

86. मेरी सरकार ने अपने विजन को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात, प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर शासन एवं सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क/भारत नेट परियोजना के तहत, सभी ग्राम पंचायतों को अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकार से नागरिक (जी2सी) और कारोबार से नागरिक (बी2सी) सेवाओं की प्रदायगी के लिए ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। अब तक, 4051 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 119 ग्राम पंचायतों/स्कूलों में वाई–फाई उपकरण स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट के लिए 110 स्थानों को चिह्नित किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान 350 गांवों में वाई–फाई कनेक्टिविटी स्थापित करने की योजना है। अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से 170 जी2सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्णतः संचालित 3600 से अधिक अटल सेवा केन्द्रों और 134 ई–दिशा केन्द्रों के माध्यम से भारत सरकार की 99 बी2सी सेवाएं तथा 12 जी2सी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

87. मेरी सरकार अब नागरिकों को 281 ई–सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता के आकलन के लिए 67 सेवाओं को भारत सरकार की तीव्र मूल्यांकन सेवा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों में एनआईसी द्वारा विकसित ई–ऑफिस एप्लीकेशन, जिससे फाइलों की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती है, शुरू की जाएगी। एक पर्यावरण हितैषी पहल के रूप में, मेरी सरकार ने ऑनलाइन गजट प्रकाशित करने के लिए 'egazetteharyana.gov.in' वैबसाइट शुरू की है।

88. हरियाणा ने विभिन्न ई–शासन परियोजनाओं जैसे कि नई पेंशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पुरस्कार, भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ राजस्व रिकॉर्ड के एकीकरण के लिए जी–ट्रायंगुलेशन प्रोजैक्ट हेतु राष्ट्रीय ई–शासन पुरस्कार तथा हरियाणा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई–स्टाम्पिंग एप्लीकेशन के साथ एकीकरण के लिए सीएसआई निहिलेंट अवार्ड हासिल किए हैं।

89. जिला सोनीपत के गांव किलोहड़ में 128.00 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है। कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक रोजगार तथा नियोजन अवसरों के लिए गुरुग्राम में एक स्टार्टअप वेयरहाउस स्थापित किया गया है तथा 1,31,047 नागरिकों को डिजिटल साक्षर प्रमाणित किया गया है। प्रदेश में फाइबर ऑप्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में सात विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप इन्क्यूबेट्र्स तथा चार विशिष्ट प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है।

90. इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना तथा संचार क्षेत्र में सरकार द्वारा एक नई नीति बनाई जा रही है, जोकि आईटी और आईटीईएस/बीपीओ/इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करेगी और निवेशक हितैषी परिवेश सृजित करके, तीव्रता से स्वीकृतियां प्रदान करके और विश्वसनीय अवसंरचना विकसित करके निवेश को बढ़ावा देगी। भारत सरकार द्वारा जारी कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तनों के दृष्टिगत वर्तमान संचार एवं संयोजिता अवसरंचना नीति को भी संशोधित किया जा रहा है।

91. वर्ष 2015–16 के दौरान, हरियाणा से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात वर्ष 2014–15 के 6.2 बिलियन डालर से बढ़कर 6.8 बिलियन डालर होने का अनुमान है। इस समय देशभर के आईटी सैक्टर का 6.8 प्रतिशत रोजगार हरियाणा में है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

92. विकास नियोजन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा भू–सूचना विज्ञान की क्षमता का दोहन करने के लिए, मेरी सरकार ने सभी सुदूर संवेदी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानवरहित वायुयानों और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से संबंधित गतिविधियों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र को एक नोडल एजेंसी घोषित किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता तथा इसकी विशेषज्ञ एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता की तकनीकी सहायता से दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ लगती 44 एकड़ भूमि पर 250 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से सोनीपत में एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा संस्कृति मंत्रालय से आंशिक रूप से पोषित 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अंबाला में एक उप–क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इन दोनों

परियोजनाओं से जन–साधारण, विशेष रूप से इस क्षेत्र के विद्यार्थियों में, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में समझ बढ़ाने तथा जागरूकता लाने के लिए अवसंरचना का सृजन होगा।

93. ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को विज्ञान शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को संशोधित किया गया है। मूलभूत एवं प्राकृतिक विज्ञान विषय चुनने पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 4000 रुपये प्रतिमाह और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 6000 रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षीय स्नातक तथा दो वर्षीय स्नातकोत्तर विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये का एकमुश्त रिसर्च मेंटरशिप अनुदान भी दिया जाता है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

94. मेरी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 5605 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत/सुधार के लिए अब तक की सर्वाधिक 1,818 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें 1,580 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों को 3.66 मीटर से 5.50 मीटर तक चौड़ा करना भी शामिल है। सड़क निर्माण में 5 किलोमीटर की पट्टी पर प्रयोग के तौर पर ग्रीन टैक्नोलोजी अपनाने की पहल की गई है। इस तकनीक के तहत चार अन्य कार्य भी स्वीकृत किए गये हैं।

95. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, हरियाणा ने 4,558 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सफलतापूर्वक उन्नयन तथा मजबूतीकरण किया है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 कार्यक्रम में भागीदारी के लिए अर्हता प्राप्त की है।

96. नाबार्ड से सहायता के तहत, वर्ष 2016–17 के दौरान 183.98 करोड़ रुपये की लागत से 184.7 किलोमीटर लम्बाई की 26 सड़कों तथा 3 नए पुलों का कार्य स्वीकृत करवाया गया है। मेरी सरकार की पहल पर भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1,240.65 करोड़ रुपये की लागत के 155 किलोमीटर लम्बे रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा)–नारनौल– महेंद्रगढ़–चरखी दादरी–भिवानी कॉरिडोर की चार लेन की परियोजना को वार्षिक योजना 2016–17 में शामिल किया है। इन परियोजनाओं पर 2017–18 के दौरान कार्य शुरू होने की सम्भावना है। लगभग 906 किलोमीटर लम्बी 9 अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

97. सेतु भारतम् योजना के तहत, भारत सरकार ने 346.69 करोड़ रुपये की राशि से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8 आरओबी स्वीकृत किए हैं, जिनमें जींद में दो तथा झज्जर, अंबाला शहर, जिला रेवाड़ी में पाली, लोहारू, कैथल और पिंजौर में एक–एक हैं।

98. मेरी सरकार ने कुंडली–मानेसर–पलवल एक्सप्रेसवे के 53 किलोमीटर लंबे मानेसर–पलवल खंड को चालू किया है। एचएसआईआईडीसी द्वारा कुंडली–मानेसर खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे 2017 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सोनीपत–जींद रेल लाइन का 26 जून, 2016 को लोकार्पण किया गया। रोहतक–महम–हांसी रेल लाइन का कार्य शुरू किया गया है, जिसके आगामी दो वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

99. मेरी सरकार ने रोहतक शहर से यातायात का दबाव कम करने के लिए मौजूदा रोहतक–गोहाना रेल लाइन को ऊपर उठाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसकी कुल परियोजना लागत 315 करोड़ रुपये होगी। मेरी सरकार वर्ष 2020 तक प्रदेश में सभी 167 मानवरहित फाटकों को समाप्त करने के लिए भारतीय रेलवे से मामले की पैरवी कर रही है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय

100. मेरी सरकार ने भारतीय पुरातत्व सोसायटी तथा राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से फतेहाबाद के कुणाल में एक प्राचीन स्थल की खुदाई शुरू की है। डेक्कन कॉलेज, पुणे के सहयोग से राखीगढ़ी, हिसार में किए गए खुदाई के कार्य में अद्वितीय पुरातात्विक सामग्री, पुरावशेष और हड़प्पाकालीन कंकाल प्राप्त हुए हैं। पलवल में काची खेड़ा और यमुनानगर में कात्तरवाली जैसे अन्य प्राचीन पुरातात्विक स्थलों पर खुदाई और वैज्ञानिक क्लीयरेंस के कार्य किए जाएंगे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

101. वर्ष 2016–17 के दौरान, 36 नहर आधारित जलघर, 414 नलकूप और 67 बूस्टिंग स्टेशन चालू किए गए हैं। अंबाला शहर, अटेली मंडी, जींद, जुलाना, कनीना, लाडवा, नीसिंग, पानीपत, रोहतक, शाहाबाद और तरावड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी चालू किए गए हैं। 157 चिह्नित ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाई गई है।

102. नाबार्ड से वित्तपोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और सिरसा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 566.60 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले सात कस्बों नामतः नूह, हथीन, पुन्हाना, फर्रुखनगर, हेली मंडी, कोसली और सोहना में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और वर्षा के पानी की निकासी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने व इनमें सुधार करने के लिए 309.69 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

103. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत, सोनीपत और पानीपत शहरों में सीवरेज सुविधाओं के संवर्धन व सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण की दो परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

104. मेरी सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए संपत्ति की हानि, गंभीर चोट, हत्या, बलात्कार और अस्थायी एवं स्थायी दिव्यांगता जैसी विभिन्न क्षतियों के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में 364 पीड़ितों को 2.94 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

105. विभिन्न जातियों का उचित वर्गीकरण सुझाने और घुमन्तु, विमुक्त जनजातियों एवं टपरीवास जातियों से संबंधित विकासात्मक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर गौर करने के लिए मेरी सरकार ने हरियाणा विमुक्त घुमन्तु जाति विकास बोर्ड गठित किया है। बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं तथा इसने कार्य शुरू कर दिया है।

106. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत, अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं, स्नातक के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक की मैरिट छात्रवृत्तियां देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के दसवीं के मेधावी विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जाती है। भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को प्रतिमास 230 रुपये से लेकर 1,200 रुपये प्रति विद्यार्थी

छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा, ऐसे विद्यार्थियों को अनिवार्य गैर प्रतिपूर्ति फीस की पूर्ति भी की जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। वर्ष 2016–17 के लिए 313.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

107. पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 160 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है। अस्वच्छ व्यवसायों में लगे अभिभावकों के पहली से दसवीं कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों को 10 मास के लिए 110 रुपये प्रति मास छात्रवृत्ति और 750 रुपये तदर्थ अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ग के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 10 मास के लिए 700 रुपये प्रति मास और 1000 रुपये वार्षिक का तदर्थ अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

108. सिलाई सीखने की इच्छुक अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिलाओं एवं लड़कियों को एक वर्ष का सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 100 रुपये मासिक वजीफे के साथ एक नई सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित और 1.50 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार युवाओं को हारट्रॉन के माध्यम से अंबाला, करनाल, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी और हिसार में वजीफे के साथ डाटा एंट्री कोर्स में एक साल का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

109. मेरी सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वर्ण जयन्ती समारोहों के शुभारम्भ के अवसर पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं बेसहारा महिला पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ते, किन्नर भत्ते एवं बौना भत्ते की राशि 1400 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रतिमास की गई है। बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता 500 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमास की गई है। स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 700 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमास की गई है। 'कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता' योजना के तहत 1000 रुपये प्रति मास प्रति सदस्य दिए जाते हैं जिसकी

अधिकतम सीमा 5000 रुपये प्रति परिवार है। पारदर्शिता एवं दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए अब विभिन्न योजनाओं के 23.37 लाख लाभार्थियों को बैंक खातों के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है।

110. मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत नूह, सिरसा, पलवल, यमुनानगर, फतेहाबाद और कैथल के 15 अल्पसंख्यक बहुल खंडों में

36.15 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। आगामी वित्त वर्ष में नूह और पलवल जिलों में दो–दो करोड़ रुपये की लागत से छः सद्भाव मंडपों का निर्माण किया जाएगा।

गृह

111. मेरी सरकार ने कई सालों के बाद पुलिस में भर्ती प्रक्रिया शुरू की और 1,670 सिपाहियों की भर्ती की गई है। अन्य 5,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और आगामी वित्त वर्ष में 5,432 सिपाहियों और 380 उप–निरीक्षकों के पदों पर भर्ती–प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरी सरकार ने महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए 1,089 नए पद सृजित किए हैं। हमारा उद्देश्य महिला पुलिस की संख्या को कुल पुलिस बल के 10 प्रतिशत के स्तर तक लाना है। महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना की एक पायलट परियोजना जिला करनाल और महेन्द्रगढ़ में शुरू की गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा युवाओं को उनकी प्रारम्भिक अवस्था के दौरान और अधिक उत्तरदायी तथा अनुशासित बनाने के उद्देश्य से सभी डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूलों में 'हरियाणा कैडेट कोर' योजना शुरू की गई है। इस वर्ष सुनारिया और भोंडसी में दो नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं शुरू की गईं तथा आगामी वर्ष में हिसार एवं पंचकूला में दो और प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। हरियाणा पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा प्रदान करने वाला पहला प्रदेश बन गया है।

सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण

112. अपने जवानों के सर्वोच्च बलिदान को मद्देनजर रखते हुए शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। अक्तूबर 2014 से शहीदों के कुल 90 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। मेरी सरकार भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों और अर्द्धसैन्य बलों के आश्रितों के

लिए विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग की एक नई योजना शीघ्र ही शुरू करेगी।

खेल एवं युवा कल्याण

113. मेरी सरकार खेलों में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी और बढ़ाना चाहती है। इस वर्ष सितम्बर–अक्तूबर में एक 'खेल महाकुंभ' आयोजित किया जाएगा, जो राज्य में खेल प्रतियोगिता का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा।

114. मेरी सरकार ने गत चार वर्षों से लंबित भीम पुरस्कार प्रदान करके राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। मेरी सरकार ने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों और राज्य के अंतर्राष्ट्रीय रेफरियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। रियो ओलिम्पिक्स और पैरा–ओलिम्पिक्स 2016 के भारतीय दल में हरियाणा से 30 प्रतिभागी थे।

115. मेरी सरकार का लक्ष्य अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित खिलाड़ियों के लिए हर जिले में खेल हॉस्टल स्थापित करने का है। मेरी सरकार राज्य युवा आयोग के गठन का इरादा भी रखती है, जो राज्य में युवा मामलों के संरक्षक के रूप में, युवाओं में श्रम गरिमा की भावना उत्पन्न करने, युवाओं को बेहतर शिक्षा एवं रोजगार के अवसर हासिल कराने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने और पूर्ण सशक्तिकरण एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए युवाओं की क्षमता के विकास एवं दोहन के लिए कार्य करेगा। मेरी सरकार प्रदेश के सभी जिलों में युवा विकास केन्द्र स्थापित कर रही है।

116. मेरी सरकार का लक्ष्य युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक युवा नीति बनाने का है, ताकि उनका रचनात्मक और कौशल विकास करके उन्हें उपलब्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

परिवहन

117. सम्मानित सभासदो, लड़कियों की शिक्षा के प्रति वचनबद्धता को दोहराते हुए केवल छात्राओं के लिए लगभग 123 मार्गों पर बसें शुरू की गई हैं। मेरी सरकार ने पीपीपी मोड में एनआईटी फरीदाबाद बस टर्मिनल के विकास का कार्य शुरू किया है। करनाल, बावल, अंबाला शहर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए बस टर्मिनल पीपीपी मोड में विकसित करने का प्रस्ताव है। तोशाम, पंचकूला में

बरवाला, पुन्हाना, तावडू, नूह, फिरोजपुर–झिरका, झज्जर और सांपला में नए बस अड्डे एवं कार्यशालाएं संचालित की गई हैं। हिसार के नलवा तथा बिलासपुर एवं रादौर में बस अड्डे निर्माणाधीन हैं और इनके आगामी वित्त वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

118. एक पायलट परियोजना के रूप में 400 बसों में जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इसे हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मेरी सरकार पास जारी करने और अग्रिम बुकिंग सहित हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में हस्तचालित इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीन शुरू करने का इरादा रखती है। हरियाणा राज्य परिवहन के प्रमुख बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

119. दो और नये ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जो जिला नूह के गांव छपेड़ा और करनाल में होंगे। केंद्र सरकार द्वारा 14.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से रोहतक में पूरी तरह से स्वचालित और कम्प्यूटरीकृत मशीनों से लैस मोटर वाहनों के लिए एक निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

120. भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास के तहत परिवहन वाहनों हेतु सड़क कर के भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक वैकल्पिक ई–पेमेंट सुविधा शुरू की गई है। ऑनलाइन डीलर प्वाइंट पंजीकरण की सुविधा भी शुरू की गई है। राज्य के सभी 94 पंजीयन एवं लाइसेंसिग प्राधिकरणों में राष्ट्रीय 'वाहन–4' एवं 'सारथी–4' कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है।

121. हरियाणा राज्य परिवहन ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक और भिवानी शहरों में इंट्रा सिटी बस सेवा शुरू की है।

पर्यटन

122. कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कृष्ण सर्किट विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित सरोवर का विकास किया

जा रहा है और कुरुक्षेत्र के शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। राज्य में पर्यटन विकास के लिए विभिन्न स्थलों पर कन्वेंशन सेंटर निर्माणाधीन हैं।

123. हरियाणा को एक फिल्म निर्माण–अनुकूल राज्य बनाने के लिए, एक फिल्म नीति तैयार की जा रही है। मेरी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जागरुकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग करने की योजना बनाई है।

आबकारी एवं कराधान

124. मेरी सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून बनाने के लिए जीएसटी परिषद् के साथ सक्रिय रूप से सम्पर्क में रही है। वर्तमान में, राज्य में वैट के तहत मौजूदा डीलरों को जीएसटी के तहत लाने की प्रक्रिया चल रही है। व्यापारियों की समस्याओं एवं मुद्दों के समाधान के लिए, मेरी सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है जोकि सरकार और व्यापारियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य भी करेगा।

125. प्रभावी प्रशासन और निगरानी के लिए, मेरी सरकार ने रोहतक में एक नया टैक्स रेंज सृजित किया है, जिससे रेंजों की संख्या चार से बढ़कर पांच हो गई है। चार नए बिक्री कर जिले नामतः गुरुग्राम उत्तर, गुरुग्राम दक्षिण, फरीदाबाद उत्तर और फरीदाबाद दक्षिण भी बनाए गए हैं। आबकारी प्रशासन के तहत, दो आबकारी जिले नामतः गुरुग्राम पूर्व और गुरुग्राम पश्चिम गठित किए गए हैं। कर प्रशासन की यह नई संरचना 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी हो गई है।

126. मेरी सरकार ने कर भुगतान, पंजीकरण, संशोधन तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण के क्षेत्र में ई–शासन क्रियान्वित किया है। त्रैमासिक तथा वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए शराब के ठेकों का आवंटन ई–टेंडरिंग के माध्यम से किया गया, जिससे आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।

127. माननीय सभासदो, हरियाणा के लोगों को आपसे अत्यधिक अपेक्षाएं हैं। वे ऐसे कानून बनाने के लिए आपकी तरफ देखते हैं, जिनसे उनका जीवन बेहतर हो सके। यह सम्मानित सदन उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय और समय की कसौटी पर परखा गया माध्यम है। मुझे आशा है कि इस

सत्र में आपकी परिचर्चा और विचार मंथन फलदायी होगा तथा यह समान और समग्र रूप से विकसित हरियाणा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरी सरकार, 'सबका साथ–सबका विकास' के सिद्धांत में विश्वास रखते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने और विकास करने के समान और भरपूर अवसर मिलें। हम संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने और अपने प्रदेशवासियों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने में प्रयासरत रहेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी सभासदों से इस नेक कार्य में मेरी सरकार को सहयोग देने की अपील करता हूँ।

वंदे मातरम्!

जय हिन्द !

.....

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव रखेंगे ।

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल) :अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने तक जो महान विभूतियां अब हमारे बीच में नहीं रही, उनके बारे में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं –

श्री सुरजीत सिंह बरनाला, तमिलनाडु के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन तमिलनाडु के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला के 14 जनवरी, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 21 अक्तूबर, 1925 को हुआ। उन्होंने 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया। वे 1967, 1969, 1972, 1980 तथा 1985 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1969–71 के दौरान मंत्री रहे। वे 1985–87 के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे 1977, 1996 व 1998 में लोक सभा के सदस्य चुने गये तथा 1977–79 तथा 1998–99 के दौरान केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने 1990 से 1991 एवं 2004 से 2011 के दौरान तमिलनाडु तथा 2000 से 2003 के दौरान उत्तराखंड एवं 2003 से 2004 के दौरान आन्ध्र प्रदेष के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उन्होंने कुछ समय के लिए ओड़िशा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सम्भाला। वे 1990–93 के दौरान अण्डमान और निकोबार के उप–राज्यपाल तथा 2009 के दौरान पुडुचेरी के प्रषासक भी रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

जे.जयललिता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री

यह सदन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता के 5 दिसम्बर, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 24 फरवरी, 1948 को हुआ। उन्होंने छः बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वे सात बार तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य चुनी गईं। वे तमिलनाडु विधान सभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी। वे 1984 से 1989 के दौरान राज्यसभा की सदस्य भी रही।

वे एक सच्ची जन नेता थी और उनके अनुयायी उन्हें प्यार से अम्मा कहते थे। वे एक सफल अभिनेत्री भी थी और उन्होंने 140 से अधिक तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया।

उनके निधन से देश एक अति लोकप्रिय राजनेता व कुषल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. श्री रघबीर सिंह, गांव छारा, जिला झज्जर।

2. श्री वेद प्रकाश मरवाह, अम्बाला छावनी, जिला अम्बाला।

3. श्री दरियाव सिंह, गांव कुम्भा, जिला हिसार।

4. श्री भागमल, गांव टीकली, जिला गुरुग्राम।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

यह सदन उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. मेजर सतीश दहिया, गांव बनिहाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़।
2. मेजर संजीव लाठर, गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर, जिला जींद।
3. लेफ्टिनेंट संदीप कुमार, गांव सिलानी कैशो, जिला झज्जर।
4. निरीक्षक विरेंद्र सिंह, गांव डालनवास, जिला महेन्द्रगढ़।
5. हवलदार ऋषिपाल, गांव भोड़ाकलां, जिला गुरुग्राम।
6. हवलदार हरिराम, गांव भाग खेड़ा, जिला जींद।
7. हवलदार विरेंद्र सिंह, गांव बीरण, जिला भिवानी।
8. हवलदार राय सिंह, गांव खेड़ी–सांपला, जिला रोहतक।
9. हवलदार रामकिशन यादव, गांव लूखी, जिला रेवाड़ी।
10. हवलदार कमल सिंह, गांव पटीकरा, जिला महेन्द्रगढ़।
11. सारजेंट नरेश कुमार, गांव अलिपुरा, जिला जींद।
12. सिपाही भगवान सिंह, गांव बास खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।
13. सिपाही आफताब, गांव बदौली, जिला अम्बाला।
14. सिपाही अंकुर शर्मा, गांव उखलचनां (कोट), जिला झज्जर।
15. सिपाही अजय कुमार, गांव बास सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

हिमस्खलन दुर्घटना

यह सदन 25 जनवरी, 2017 को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में हिमस्खलन की हुई अलग–अलग घटनाओं में मारे गए सेना के जवानों और नागरिकों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

यह सदन

मुख्य संसदीय सचिव श्री बख्शीश सिंह विर्क की पत्नी, श्रीमती देवेंद्र कौर;

विधायक श्रीमती शकुंतला खटक की सास, श्रीमती मेवा देवी;

विधायक श्री रामचंद कम्बोज की दादी, श्रीमती भागा बाई;

विधायक श्री टेक चन्द शर्मा के चाचा, श्री किशन चन्द शर्मा;

पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण लाठर के पोते, श्री रोहित;

पूर्व मंत्री श्री चरण दास शौरेवाला के भाई, श्री अमर सिंह शौरेवाला;

पूर्व सांसद श्री रामजीलाल की भाभी, श्रीमती सरबती देवी;

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री अनिल ठक्कर की माता, श्रीमती संतोश देवी;

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रामकिशन फौजी के भाई, श्री राजेश कुमार;

तथा

पूर्व विधायक डॉ. शिवशंकर भारद्वाज की माता, श्रीमती सावित्री देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

15:00 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला शोक प्रस्ताव पर बोलेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष जी, मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल करता हूं । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से

तमिलनाडु के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला के 14 जनवरी, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

उनका जन्म 21 अक्तूबर, 1925 को हुआ। उन्होंने 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया । वे 1967, 1969, 1972, 1980 तथा 1985 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1969–71 के दौरान मंत्री रहे। वे 1985–87 के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे 1977, 1996 व 1998 में लोक सभा के सदस्य चुने गये तथा 1977–79 तथा 1998–99 के दौरान केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने 1990 से 1991 एवं 2004 से 2011 के दौरान तमिलनाडु तथा 2000 से 2003 के दौरान उत्तराखंड एवं 2003 से 2004 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उन्होंने कुछ समय के लिए ओड़िशा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। वे 1990–1993 के दौरान अण्डमान और निकोबार के उप–राज्यपाल तथा 2009 के दौरान पुडुचेरी के प्रशासक भी रहे ।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के 5 दिसम्बर, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

उनका जन्म 24 फरवरी, 1948 को हुआ। उन्होंने छः बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया । वे सात बार तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य चुनी गई । वे तमिलनाडु विधान सभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी । वे 1984 से 1989 के दौरान राज्यसभा की सदस्य भी रही ।

वे एक सच्ची जननेता थी और उनके अनुयायी उन्हें प्यार से अम्मा कहते थे । वे एक सफल अभिनेत्री भी थी और उन्होंने 140 से अधिक तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया ।

उनके निधन से देश एक अति लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैंः–

1. श्री रघबीर सिंह, गांव छारा, जिला झज्जर।
2. श्री वेद प्रकाश मरवाह, अम्बाला छावनी, जिला अम्बाला।
3. श्री दरियाव सिंह, गांव कुम्भा, जिला हिसार।
4. श्री भागमल, गांव टीकली, जिला गुरूग्राम।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता हूँ और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी वीर सैनिकों को भी अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैंः

1. मेजर सतीश दहिया, गांव बनिहाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़।
2. मेजर संजीव लाठर, गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर, जिला जींद।
3. लेफ्टिनेंट संदीप कुमार, गांव सिलानी कैशो, जिला झज्जर।
4. निरीक्षक विरेंद्र सिंह, गांव डालनवास, जिला महेन्द्रगढ़।
5. हवलदार ऋषिपाल, गांव भोड़ाकलां, जिला गुरुग्राम।
6. हवलदार हरिराम, गांव भाग खेड़ा, जिला जींद।
7. हवलदार विरेंद्र सिंह, गांव बीरण, जिला भिवानी।
8. हवलदार राय सिंह, गांव खेड़ी–सांपला, जिला रोहतक।
9. हवलदार रामकिशन यादव, गांव लूखी, जिला रेवाड़ी।

10. हवलदार कमल सिंह, गांव पटीकरा, जिला महेन्द्रगढ़।

11. सारजेंट नरेश कुमार, गांव अलिपुरा, जिला जींद।

12. सिपाही भगवान सिंह, गांव बास खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।

13. सिपाही आफताब, गांव बदौली, जिला अम्बाला।

14. सिपाही अंकुर शर्मा, गांव उखलचनां (कोट), जिला झज्जर।

15. सिपाही अजय कुमार, गांव बास सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर शत–शत नमन करता हूँ और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से 25 जनवरी, 2017 को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में हिमस्खलन की हुई अलग–अलग घटनाओं में मारे गए सेना के जवानों और नागरिकों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ और शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से मुख्य संसदीय सचिव श्री बख्शीश सिंह विर्क की पत्नी श्रीमती देवेंद्र कौर, विधायक श्रीमती शकुंतला खटक की सास श्रीमती मेवा देवी, विधायक श्री रामचंद कम्बोज की दादी श्रीमती भागा बाई, विधायक श्री टेक चन्द शर्मा के चाचा श्री किशन चन्द शर्मा, पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण लाठर के पोते श्री रोहित, पूर्व मंत्री श्री चरण दास शौरेवाला के भाई श्री अमर सिंह शौरेवाला, पूर्व सांसद श्री रामजीलाल की भाभी श्रीमती सरबती देवी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री अनिल ठक्कर की माता श्रीमती संतोश देवी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रामकिशन फौजी के भाई श्री राजेश कुमार तथा पूर्व विधायक डॉ. शिवशंकर भारद्धाज की माता श्रीमती सावित्री देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

Smt. Kiran Choudhry (Tosham): Speaker Sir, This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of

Shri Surjit Singh Barnala, former Governor of Tamil Nadu, on January 14, 2017.

He was born on October 21, 1925. He took active part in 'Quit India Movement' in 1942. He was elected to the Punjab Legislative Assembly in 1967, 1969, 1972, 1980 & 1985 and remained Minister during 1969-71. He remained Chief Minister of Punjab during 1985-87. He was elected as a Member of Lok Sabha in 1977, 1996 and 1998. He remained Union Minister during 1977-79 and 1998-99. He served as the Governor of Tamil Nadu from 1990 to 1991 and again from 2004 to 2011, Uttarakhand from 2000 to 2003 and Andhra Pradesh from 2003 to 2004. He also held additional charge of the Governor of Odisha for some time. He also remained Lieutenant Governor of the Andaman & Nicobar Islands during 1990-93 and Administrator of Puducherry during 2009.

In his death, the country has lost a seasoned parliamentarian and an able administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of J.Jayalalitha, Chief Minister of Tamil Nadu, on December 5, 2016.

She was born on February 24, 1948. She served as Chief Minister of Tamil Nadu for six terms. She remained member of Tamil Nadu Legislative Assembly for seven terms. She was the first woman Leader of Opposition in the Tamil Nadu

Legislative Assembly. She was also a Member of the Rajya Sabha from 1984 to 1989.

She was a true leader of masses and her followers fondly called her 'Amma'. She was also a successful actress who acted in over 140 Tamil, Telugu, Kannada and Hindi films.

In her death, the country has a lost a highly popular political leader and an able administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of our revered freedom fighters who played a significant role in achieving the freedom of our country.

These great freedom fighters are:

1. Shri Raghbir Singh, village Chhara, District Jhajjar.

2. Shri Ved Parkash Marwah, Ambala Cantt., District Ambala.

3. Shri Dariyao Singh, village Khumba, District Hisar.

4. Shri Bhagmal, village Tikli, District Gurugram.

This House salutes these great freedom fighters and resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House bids tearful adieu to those brave soldiers who showed indomitable courage and made the supreme sacrifice

of their lives while safeguarding the unity and integrity of our motherland.

These great martyrs are:

1. Major Satish Dahiya, village Banihari, District Mahendragarh.

2. Major Sanjeev Lather, village Budha Khera Lather, District Jind.

3. Lt. Sandeep Kumar, village Silani Keso, District Jhajjar.

4. Inspector Virender Singh, village Dalenwas, District Mahendragarh.

5. Havildar Rishipal, village Bhora Kalan, District Gurugram.

6. Havildar Hariram, village Bhag Khera, District Jind.

7. Havildar Virender Singh, village Biran, District Bhiwani.

8. Havildar Rai Singh, village Kheri Sampla, District Rohtak.

9. Havildar Ram Kishan Yadav, village Lukhi, District Rewari.

10. Havildar Kamal Singh, village Patikara, District Mahendragarh.

11. Sergeant Naresh Kumar, village Alipura, District Jind.

12. Sepoy Bhagwan Singh, village Bas Khudana, District Mahendragarh.

13. Sepoy Aftab, village Badhauli, District Ambala.

14. Sepoy Ankur Sharma, village Ukhalchana (Kot), District Jhajjar.

15. Sepoy Ajay Kumar, village Bas Satnali, District Mahendragarh.

This House salutes these great soldiers for their supreme sacrifice of laying down their lives for the nation and resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of those brave soldiers and civilians who lost their lives in avalanche in different regions of Jammu & Kashmir, on January 25, 2017.

This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of :-

Smt. Devender Kaur, wife of Shri Bakshish Singh Virk, CPS;

Smt. Mewa Devi, mother-in-law of Smt. Shakuntla Khatak, MLA;

Smt. Bhaga Bai, grandmother of Shri Ram Chand kamboj, MLA;

Shri Kishan Chand Sharma, uncle of Shri Tek Chand Sharma, MLA;

Shri Rohit, grandson of Shri Satyanarayan Lather, Ex-Minister;

Shri Amar Singh Shorewala, brother of Shri Charan Dass Shorewala, Ex-Minister;

Smt. Sarbati Devi, sister -in-law of Shri Ramji Lal, Ex-MP;

Smt. Santosh Devi, mother of Shri Anil Thakkar, Ex-CPS;

Shri Rajesh Kumar, brother of Shri Ram Kishan Fauji, Ex-CPS; and

Smt. Savitri Devi, mother of Dr. Shiv Shankar Bhardwaj, Ex-MLA;

This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

Thank you Sir.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, माननीय सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म जिला महेन्द्रगढ के अटेली में हुआ। वे बहुत उच्च पदों पर रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसी तरह से मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वह महिलाओं में एक बहादुर नेत्री थी। वह तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री रहीं। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से मैं उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं:–

1. श्री रघबीर सिंह, गांव छारा, जिला झज्जर।

2. श्री वेद प्रकाश मरवाह, अम्बाला छावनी, जिला अम्बाला।

3. श्री दरियाव सिंह, गांव कुम्भा, जिला हिसार।

4. श्री भागमल, गांव टीकली, जिला गुरूग्राम।

मैं इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से मैं उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

शहीद मेजर सतीश दहिया की शहादत पर परसों माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब तथा श्री अभय सिंह चौटाला साहब पानी हम सभी उनके गांव बनिहाड़ी, जिला महेन्द्रगढ में शोक प्रकट करने गये थे। मेजर सतीश दहिया ए. एस.सी. में सप्लाई लाईन में ड्यूटी पर तैनात थे, जिसका कार्य युद्ध करना नहीं होता। परन्तु मेजर सतीस दहिया को तीन आतंकवादियों की खबर लगी। उन्होंनें अपनी ब्रिगेड कमांडर से यह कहकर ड्यूटी लगवाई कि यह कार्य वही कर सकते हैं। वे उन तीन आतंकवादियों को मारकर शहीद हुए। हम उनको नमन करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे महान वीर सैनिकों के नाम निम्न प्रकार से हैं:–

1. मेजर संजीव लाठर, गांव बुढाखेड़ा लाठर, जिला जींद।

2. लेफ्टिनेंट संदीप कुमार, गांव सिलानी कैशो, जिला झज्जर।

3. निरीक्षक विरेंद्र सिंह, गांव डालनवास, जिला महेन्द्रगढ।

4. हवलदार ऋषिपाल, गांव भोड़ाकलां, जिला गुरूग्राम।

5. हवलदार हरिराम, गांव भाग खेड़ा, जिला जींद।

6. हवलदार विरेंद्र सिंह, गांव बीरण, जिला भिवानी।

7. हवलदार राय सिंह, गांव खेड़ी–सांपला, जिला रोहतक।

8. हवलदार रामकिशन यादव, गांव लूखी, जिला रेवाड़ी।

9. हवलदार कमल सिंह, गांव पटीकरा, जिला महेन्द्रगढ।

10. सारजेंट नरेश कुमार, गांव अलिपुरा, जिला जींद।

11. सिपाही भगवान सिंह, गांव बास खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।

12. सिपाही आफताब, गांव बदौली, जिला अम्बाला।

13. सिपाही अंकुर शर्मा, गांव उखलचनां (कोट), जिला झज्जर।

14. सिपाही अजय कुमार, गांव बास सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।

मैं इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके अतिरिक्त जो हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं या पूर्व में सदस्य रहे हैं, उनके रिश्तेदारों का नाम भी शोक प्रस्ताव में आये हुए हैं, इनके नाम इस प्रकार से हैं :–

मुख्य संसदीय सभी सचिव श्री बख्शीश सिंह विर्क की धर्मपत्नी, श्रीमती देवेंद्र कौर,

श्रीमती शकुंतला खटक जो इस सदन की विधायक हैं उनकी सास, श्रीमती मेवा देवी,

श्री रामचंद कम्बोज जो हमारे विधायक हैं उनकी दादी, श्रीमती भागा बाई, विधायक

श्री टेक चन्द शर्मा के चाचा, श्री किशन चन्द शर्मा,

पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण लाठर के पोते, श्री रोहित,

पूर्व मंत्री चरण दास शौरेवाला के भाई, श्री अमर सिंह शैरेवाला,

पूर्व सांसद श्री रामजीलाल की भाभी, श्रीमती सरबती देवी,

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री अनिल ठक्कर की माता, श्रीमती संतोश देवी,

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रामकिशन फौजी के भाई, श्री राजेश कुमार,

पूर्व विधायक डॉ शिवशंकर भारद्वाज की माता, श्रीमती सावित्री देवी

मैं दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके अतिरिक्त हमारे माननीय विधायक श्री हरविंदर कल्याण के चाचा श्री जय सिंह कल्याण का निधन हो गया है उनके पूज्य पिता चौधरी मुल्तान सिंह इस सदन में डिप्टी स्पीकर रहे हैं। इसी तरह से हमारे इस सदन के साथी बिशम्बर सिंह वाल्मीकि के नाना श्री रैयत राम का निधन हो गया है। मैं अपनी अनुमति से इन दोनों का नाम भी शोक प्रस्ताव में जुड़वाना चाहता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने जो अपने–अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात और इस अधिवेशन के आरंभ होने के बीच कई महान विभूतियां दुनिया को छोड़ कर चली गई हैं।

इनमें सबसे पहले मैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के भूतपूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, के 14 जनवरी 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। वे 5 बार पंजाब विधान सभा के सदस्य भी चुने गए। वे पंजाब के मंत्री भी रहें और बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य भी चुने गए और दो बार केन्द्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने तमिलनाडु, उत्तराखंड और आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया और कुछ समय के लिए उन्होंने ओड़िशा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। वे अण्डमान और निकोबार के उप–राज्यपाल तथा पुडुचेरी के प्रशासक भी रहें।

मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जे. जयललिता के 5 दिसम्बर, 2016 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उन्होंने 6 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया और वह 7 बार तमिलनाडु विधानसभा की सदस्या चुनी गई। वह वहां पर नेता प्रतिपक्ष भी रहीं। वह एक बार राज्यसभा की सदस्य भी चुनी गई। राजनीति में आने से पूर्व उन्होंने तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिन्दी फिल्मों में अभिनय किया।

इसके साथ ही, मैं उन महान स्वतन्त्रता सेनानियों, जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शोक प्रस्ताव में लिए हैं, के दुःखद निधन पर भी अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूं। इन सभी स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपने–अपने ढंग से देश को आजाद कराने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया।

मुझे हरियाणा के उन सभी शहीदों जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया तथा जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शोक प्रस्ताव में लिये हैं, की कुर्बानी पर गहरा दुख है। मैं इन महान आत्माओं के बलिदान को कोटि–कोटि प्रणाम करता हूँ।

मैं 25 जनवरी, 2017 को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में हिमस्खलन दुर्घटना में मारे गए सेना के जवानों तथा नागरिकों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों के निजी संबंधियों के हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवगंत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान हो। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया)

———

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम–13 (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों के नामों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं–

1. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक

2. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक

3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक

4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बंधी

श्री अध्यक्ष : अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे ।

श्री सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने नवम्बर, 2015 तथा मार्च, 2016 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर 'राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं ।

नवम्बर सत्र, 2015

1. हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल, विधेयक, 2015.

मार्च सत्र, 2016

'2. औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016.

———

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किये गये विभिन्न कार्यों की समय–सारणी प्रस्तुत करता हूं :–

समिति की बैठक सोमवार 27 फरवरी, 2017 को प्रातः 11:00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

''समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार को 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं स्थगित होगी तथा मंगलवार, बुधवार, वीरवार तथा शुक्रवार को 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

सोमवार, 27 फरवरी, 2017 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि बुधवार, 1 मार्च, 2017 को विधान सभा की पहली बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् स्थगित होगी तथा विधान सभा की दूसरी बैठक 2.30 बजे मध्याह्न–पश्चात आरम्भ होगी तथा 7.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि सोमवार, 6 मार्च, 2017 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि मंगलवार, 7 मार्च, 2017 को विधान सभा की पहली बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् स्थगित होगी तथा विधान सभा की दूसरी बैठक 2.30 बजे मध्याह्न–पश्चात आरम्भ होगी तथा 7.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 27 फरवरी, 2017 से 3 मार्च, 2017 तथा 6 से 10 मार्च, 2017 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

27 फरवरी, 2017 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरत आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी।	सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। शोक प्रस्ताव। कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र। विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।
मंगलवार, 28 फरवरी, 2017 (10.00 बजे प्रातः)	प्रश्न काल। नियम 121 के अधीन प्रस्ताव। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 1 मार्च, 2017 (10.00 बजे प्रातः) (प्रथम बैठक)	प्रश्न काल। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।
बुधवार, 1 मार्च, 2017 (2.30 बजे मध्याह्न–पश्चात) (दूसरी बैठक)	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।
वीरवार, 2 मार्च, 2017 (10.00 बजे प्रातः)	प्रश्न काल। गैर सरकारी कार्य
शुक्रवार, 3 मार्च, 2017 (10.00 बजे प्रातः)	प्रश्न काल। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव का मतदान। वर्ष 2016–2017 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। विधान कार्य।
शनिवार, 4 मार्च, 2017	छुट्टी।
रविवार, 5 मार्च, 2017	छुट्टी।

सोमवार, 6 मार्च, 2017 (2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	प्रश्न काल। वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
मंगलवार, 7 मार्च, 2017 (10.00 बजे प्रातः)(प्रथम बैठक)	प्रश्न काल। वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा।
मंगलवार, 7 मार्च, 2017 (2.30 बजे मध्याह्न–पश्चात) (दूसरी बैठक)	वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण। रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों। विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। वर्ष 2016–2017 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। विधान कार्य।
बुधवार, 8 मार्च, 2017 (10.00 बजे प्रातः)	प्रश्न काल। वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।
वीरवार, 9 मार्च, 2017 (10.00 बजे प्रातः)	प्रश्न काल। वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों पर तथा वर्ष 2017–2018 के लिए अनुदानों की मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर तथा मतदान।
शुक्रवार, 10 मार्च, 2017 (10.00 बजे प्रातः)	प्रश्न काल। निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों। विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। विधान कार्य। कोई अन्य कार्य।''

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशे स्वीकार करता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशे स्वीकार करता है।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक आपने हाउस को बड़ी दरियादिली से चलाया है। हमने जब–जब भी आपसे हाउस का समय बढ़ाने की प्रार्थना की आपने तब–तब दरियादिली का परिचय देते हुए हाउस का समय बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके द्वारा इस बार सदन की अवधि को न बढ़ाकर सिर्फ दो सीटिंग्स ही बढ़ाई गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सैशन 6 महीने के बाद आया है। इन 6 महीनों के दौरान बहुत से ऐसे इश्यूज़ प्रदेश के सामने आये हैं जिनके ऊपर प्रत्येक माननीय सदस्य विस्तारपूर्वक चर्चा करना चाहता है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस बार जो सैशन का समय निर्धारित किया है उसमें गवर्नर एड्रैस पर चर्चा के लिए केवल दो दिन का समय निर्धारित किया गया है और इसी प्रकार से ही बजट पर चर्चा के लिए भी दो दिन का ही समय निर्धारित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं आपकी बात को दुरूस्त करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए और बजट भाषण पर चर्चा के लिए क्रमशः चार–चार सीटिंग्स का समय नियत किया गया है। यह निर्णय सभी पार्टियों के नेताओं की उपस्थिति में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह स्मरण करवाना चाहूंगा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इनके स्थान पर इनकी पार्टी की नेता श्रीमती नैना सिहं चौटाला जी भी उपस्थित थी और कार्य सलाहकार समिति द्वारा जो फैसला किया गया है उसमें उनकी भी पूर्ण सहमति थी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सबके लिए तो मैं आप सभी का तहे–दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने दो सीटिंग्स का समय बढ़ाया लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि इस समय हरियाणा प्रदेश

में बहुत से ऐसे इश्यूज़ खड़े हो गये हैं जिनके ऊपर सभी माननीय सदस्य विस्तारपूर्वक चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आप वर्तमान सैशन की समय–सीमा को कम से कम दो दिन के लिए और बढ़ायें ताकि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश से सम्बंधित सभी ज्वलंत विषयों पर चर्चा कर सकें। सभी माननीय सदस्यगण इस चर्चा में भाग ले सकेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और सभी माननीय सदस्यगण इसके लिए आपके आभारी होंगे। इस समय प्रदेश में बहुत बड़े–बड़े इश्यूज़ हैं जैसे कि जाट आरक्षण और एस.वाई.एल. कैनाल का इश्यू। इनके अतिरिक्त हमने आपको बहुत से कालिंग अटैंशन नोटिस भी दिये हुए हैं। हम चाहते हैं कि उन पर भी यहां पर विस्तारपूर्वक चर्चा करवाई जाये ताकि प्रदेश के लोगों को उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप वर्तमान सैशन की अवधि को कम से कम दो दिन के लिए और बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय सभी पार्टियों के नेताओं की सहमति से लिया गया है। इसके बावजूद भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके सुझाव को नोट कर लिया गया है और अगर किसी स्टेज पर ज़रूरत महसूस हुई तो सैशन के समय को बढ़ाने के बारे में विचार कर लिया जायेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चाहे कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सीटिंग्स के समय को बढ़ाने के बारे में न कहा गया हो उसके बावजूद भी मैंने सीटिंग्स के समय को बार–बार बढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

प्रस्ताव पारित हुआ ।

———

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गये कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगें/पुनः रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ :–

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश सं. 5)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूँ :–

हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) अधिनियम, 1979 के खण्ड 8 (3) में उपबन्ध के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) अधिनियम, 1979 में संशोधन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.11/एच.ए. 9/1979/एस. 8/2016 दिनांकित 5 मई, 2016

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.23/कांस्ट/आर्ट.320/2016, दिनांकित 2 अगस्त, 2016

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.29/कांस्ट/आर्ट.320/2016, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2016

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या पी.एफ–69/2016/23910, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2016

हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1970 के खण्ड 9 (2) में उपबन्ध के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन के संबंध में सामान्य प्रशासन

विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. /एच.ए.3/1970/एस. 8 तथा 9/2016 दिनांकित 6 अक्तूबर, 2016

हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) अधिनियम, 1979 के खण्ड 8 (3) में उपबन्ध के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) नियम, 1979 में संशोधन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.39/एच.ए. 9/1979/एस. 8/2016, दिनांकित 6 अक्तूबर, 2016।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 49वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, पंचकूला की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2009–2010 के लिए हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2010–2011 के लिए हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2011–2012 के लिए हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012–2013 के लिए हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 34(5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014–2015 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा लेखा रिपोर्ट

हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वार्षिक रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए

वर्ष के लिए (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2015–2016 के लिए वित्तीय लेखे (भाग–I तथा II)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2015–2016 के लिए विनियोग लेखे

विशेषाधिकार मामले के सम्बन्ध में विशेषधिकार समिति का प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक द्वारा श्री करण सिंह दलाल, विधायक के विरूद्ध दी गई सूचना पर कि उन्होंने 29 अगस्त, 2016 को सदन को गुमराह किया तथा उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत पूरी राशि का 30% हिस्सा मंत्रियों की जेब में जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उनके पास इस संबंध में कोई साक्ष्य नही है तथा उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सदन को गुमराह करने वाला तथा सदन की गरिमा को धूमिल करने वाला है, के बारे में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विशेषाधिकार समिति के अन्तिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए ।

Chairperson, Committee on Prigileges (Shri Ghan Shyam Dass): Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta,

MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA has misleading the House on 29th August, 2016, and he has stated that the 30% share of the whole amount under the Fasal Bima Yojna goes to the pocket of Ministers, which is totally false. He has no evidence in this regard and explanation given by him is also misleading the House and maligned the dignity of the House.

Sir, I beg to move that the time for presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विशेषाधिकार समिति के अन्तिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विशेषाधिकार समिति के अन्तिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*15.34 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2017 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2017 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)